Water Testing / Water Quality

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
म.प्र. भांपाल

क. 008.04 मोनि / प्र.अ./ ज. गु. स./ लो. स्वा. यां.वि. / 05 भोपाल . दिनांक 1 ६ 4 ध05
प्रति

समस्त कार्यपान यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांद्यिकी विभाग
खंड–

विषय– ग्रीष्म ऋतु में दूषित पेयजल से होने वाली बीमारीयों का नियंत्रण एंव रोकथाम ।

सर्वविदित है कि ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ होते ही दुषित पेयजल से होने वाली बीमारियों जैसे दस्त हैजा पेचिस आ़त्र शोध व पीलिया आदि का प्रकोप बढ जाता है ।

वर्तमान ग्राष्म ऋतु में इन बीमारियों के रोकथाम व नियंत्रण के लिए निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही की जावे ;.

(अ) ग्रामीण जल प्रदाय क्षेढ

1. ग्रामवासियों को सुझावित किया जावें कि वे लोक स्वास्थ्य यांढिकीय विभाग द्वारा निर्मित शुदध पेयजल स्ढोतों से प्राप्त पानी का ही पीने व भोजन प्काने के लिए उपयोग करें । यदि खुले कुॅए के पानी को पीने के उपयोग में लाया जाता है तो उसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा ब्लीचिंग पावडर डाला अथवा उसे छान कर स्वच्छ पात्र में भरने के बाद क्लोरिन टेबलेट डालकर /उबालकर ही उपयोग में लाएँ ।
2. जिन हेंडपपों में प्लेटफार्म नाली नहीं बने है या टुट गए है उन्हें तत्काल निर्मित करें / सुधार करें एवं उनकी ग्राउटिंग ठीक की जावे एवं सभी सुधार योग्य खराब हैडपंप तत्काल ठीक कराए जावें ताकि ग्राम दुषित पेयजल के सेवन के लिए विवश न हो ।
3. हैडपंपो क`जल की निकासी की सुनचित व्यवस्था हो ताकि इनके आसपास गंदगी/ कीचड न हो पाए ।
4. जिन ग्रामीण क्षेत्रों में जल जन्य व्याधियों के फैलने को सूचना/ आशंका हो यहॉ के पेयजल स्त्रोतों की गुणवत्ता की जॉच प्राथमिकता पर कराये व आवश्यकता नुसार नियंत्रनात्मक / सुधारात्मक कार्यवाही करे । जनप्रतिनिधीयो समाज सेवी संगटन एवं पंचायत के माध्यम से यह संदेंश प्रचारित प्रसारित किया जावें की

   (अ) गग्रमिन क्षेत्रो में पेयजल स्त्रोतो पर कपडे धोने.बर्तन साफकरने या अन्य गंदगी न करने हेतु ग्रामवासियो में जन जागृती की जाये ।ठसी तरह उन्हे पानि के पात्र को से ढॉक कर एवं साफ रखने का सुझाव दिया जावे ।

   (ब) ग्रामीन नलजल योजनावो की टंकीयो में उचित मात्रा एवं गुवक्ता का ब्लीचिग पावडर डलवाकर जीवानु नाशक किया जावे एवं न्युतम 0०2 मिली ग्राम / लीटर अवशिष्ट (रेसिडयुल) क्लोरिन की मात्रा सुनिचित की जाये ।

   (स) चूॅकी रोगे के रोग थाम में पेयजल मात्रा गुनवत्ता के साथ साथ स्वच्छता का पहलु भी अत्यत महत्वपुर्ण है। अत. विभाग व्दारा निर्मीत स्वच्छ शौचालयो का उपयोग दृ कूडे क्चरे व गोबर का समुचित निष्पादन तथा सभी स्तरों जैसे वातावरण .घर भोजन एवं व्योक्तीगत स्तरो की माात्रा सुनिचित की जायें ।

   (द) ग्रामवासी खेत में काम करने जाते समय नलकूप अथवा स्वच्छ कुयेका पानी पीने के लिए साथ ले जावे ।

   (इ) स्थानिय पंचायतो को सुझावित करें ये ब्लेंचिग पावडर / क्लोरीन की समुचित मात्रा जल प्रदाय हेतु उपलब्ध रखे इसे उचित रुप से भडारीत किया जावे ताकि इसके प्रभावि गुन नष्ट न हो ।

(ब)   नगरीय जल प्रदाय क्षेत्र

(1)   सभी स्थानिय निकायों के प्रभारी अधिकारीय को अवगत करावे कि उनके अधिनस्त जल प्रदाय के सभी स्त्रोतो दृजल यंत्रालयो टंकियो व वितरन प्रनाली का तत्काल निरक्षण कर पेयजल उपचार हेतु आवश्यक सामग्री आदी की सामयिक उपजब्धता सुनिचित करें ।

(2)   उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वतरन प्रनाली के अंतीम बिंदु पर न्युतम 02 मि ग्राम / लिटर अवशिष्ट क्लोरीन पाई जावे ।

(3)   जल प्रदाय बंद हो जाने के बाद अणाल्कप दाब के कारन गंदगी को पाईप लाईन में अती प्रभावी तरीके से सेवा ना रुके ।

पेयजल परीक्षण के लिए आपके जिले की या निकट जिले की विभागिय प्रयोग शाला का उपयोग करे तथा संदभ परीक्ष्ण या आपातकालिन स्थिति में राज्य अनुसंधान प्रयोग शाला भोपाल या चलित प्रयोग शाला भोपाल से संपर्क करे ।

दूषित पानी से होने वाली बीमारीयो की सघन मानिटरिंग की जाये इसके लिए स्थानीय स्वास्थ विभाग से संपर्क मे रहे एवं पेयजल परीक्षण करा के दूषित पाये जाने पर डसकी गुनवत्ता को अयिलंब बहाल करने की कार्यवाही करे ।

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ यात्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ. क्रमाक 2476   00604 / मोनि/ प्र.अ./ लो.स्वा.यां.वि./ 05   भोपाल दिनांक 1 / 4 / 05
प्रतिलीपः

1. सचिव मध्यप्रदेश शासन. लोक स्वास्थ यांत्रिकीय विभाग मंत्रालय. भोपाल की ओर सुचनार्थ प्रषित ।
2. विषेश सहायक माननिय मंत्रीजी लोक स्वरास्थ यांत्रीकी विभाग (स्वतंत्र विभाग)
3. मुख्य अभियंता ग्रामिन/ नगरीय कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक स्वा.यां.   विभाग
4. म्ख्य अभियंता लोक स्वा.यां. विभाग भोपाल/ इंदौर/ ग्वालियर/ जबलपुर/   परिक्षेत्र
5. अधिक्षण यंत्री लो.स्वा.यां.वि. परीयोजना मंडल.....................को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहि हेतु प्रषित।
6. समरत कलेक्टर जिला.........................को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित
.7 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला..........................को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित ।
8 कार्यपालन यंत्री लो.स्वा.स्वा.यां वि.परियोजना खंड ....को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहि हेतु प्रषित ।
9 मुख्य चिकीत्सा अधिकारी एवं स्वास्थ अधिकारी ....को सुचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित ।

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ यांत्रिकी विभाग
मध्य प्रदेश भोपाल